

यह पाठ केवल एक दस्तावेजीकरण उपकरण के रूप में है और इसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं है। संघ की संस्थाएँ इसकी विषयवस्तु के लिए कोई दायित्व नहीं लेती। संबंधित अधिनियमों के प्रामाणिक संस्करण, उनकी प्रस्तावनाओं सहित, आधिकारिक तौर पर प्रकाशित हैं।
यूरोपीय संघ के जर्नल में उपलब्ध है और EUR-Lex में उपलब्ध है। इन आधिकारिक पाठों को सीधे लिंक के माध्यम से देखा जा सकता है।
इस दस्तावेज़ में सन्निहित

► **बी**

आयोग प्रत्यायोजित विनियमन (ईयू) 2020/427

13 जनवरी 2020

यूरोपीय संसद और परिषद के विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुलग्नक II में संशोधन करना
जैविक उत्पादों के लिए कुछ विस्तृत उत्पादन नियमों के संबंध में

(ईईए प्रासंगिकता वाला पाठ)

(ओजे एल 87, 23.3.2020, पृ. 1)

इसके द्वारा संशोधित:

आधिकारिक जर्नल

	नहीं	पृष्ठ	तारीख
► एम1	आयोग प्रत्यायोजित विनियमन (ईयू) 2021/269 दिनांक 4 दिसंबर 2020 एल 60	24	22.2.2021

▼ बी

आयोग प्रत्यायोजित विनियमन (ईयू) 2020/427

13 जनवरी 2020

यूरोपीय संसद और परिषद के विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुबंध II में कुछ
विस्तृत संशोधन

जैविक उत्पादों के उत्पादन नियम

(ईईए प्रासंगिकता वाला पाठ)

अनुच्छेद 1

विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुबंध II को इस विनियमन के अनुबंध के अनुसार
संशोधित किया गया है।

अनुच्छेद 2

यह विनियमन इसके प्रकाशन के अगले बीसवें दिन से लागू होगा। *यूरोपीय संघ का
आधिकारिक राजनामचा*।

▼ एम1

यह 1 जनवरी 2022 से लागू होगा।

▼ बी

यह विनियमन सम्पूर्ण रूप से बाध्यकारी होगा तथा सभी सदस्य राज्यों पर प्रत्यक्ष रूप
से लागू होगा।

▼ **बी***उपभवन*

विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुलग्नक II को निम्नानुसार संशोधित किया गया है:

(1) भाग I में, बिंदु 1.3 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है:

'1.3. बिंदु 1.1 से विचलन के रूप में, अंकुरित बीजों का उत्पादन, बशर्ते कि बीज जैविक हों, और साफ पानी में डुबोकर कासनी के सिरों को प्राप्त करने की अनुमति होगी।'

(2) भाग II के बिंदु 1.9.6.2 में, बिंदु (बी) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है:

'(ख) मधुमक्खी कालोनियों को केवल वही खिलाया जा सकता है जहां कॉलोनी का अस्तित्व संभव हो जलवायु परिस्थितियों के कारण संकटग्रस्त। ऐसी स्थिति में, मधुमक्खी कालोनियों को जैविक शहद, जैविक पराग, जैविक चीनी सिरप या जैविक चीनी खिलाई जानी चाहिए।'

(3) भाग III में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:

(क) बिन्दु 3.1.2 में निम्नलिखित बिन्दु जोड़ा गया है:

'3.1.2.3. किशोर उत्पादन

समुद्री मछली प्रजातियों के लार्वा पालन में, पालन प्रणालियाँ (अधिमनत: "मेसोकोसम" या "बड़ी मात्रा में पालन") इस्तेमाल की जा सकती हैं। ये पालन प्रणालियाँ निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करेंगी:

(क) प्रारंभिक भंडारण घनत्व 20 अंडे या लार्वा प्रति लीटर से कम होगा;

(ख) लार्वा पालन टैंक का आयतन न्यूनतम 20 मीटर होगा; और

(ग) लार्वा टैंक में विकसित होने वाले प्राकृतिक प्लवक पर भोजन करेगा, जिसे बाह्य रूप से उत्पादित फाइटोप्लांकटन और जूप्लांकटन द्वारा उचित रूप से पूरक किया जाएगा।'

(ख) बिंदु 3.1.3.3 में, बिंदु (ई) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है:

'(ई) पौधे या पशु मूल की जैविक फीड सामग्री।'